5

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर जिला सागर (म.प्र.)

निगरानी क्र.– R-3286/II/2015 सन्–2015

1. जागेश्वर चौरसिया आयु 74 वर्ष तनय स्व.श्री खूबचन्द्र चौरसिया
2. कमला देवी आयु 67 वर्ष पत्नी श्री जागेश्वर चौरसिया
3. प्रवीण कुमार आयु 35 वर्ष तनय श्री जागेश्वर चौरसिया
4. प्रतीक रंजन आयु 30 वर्ष तनय श्री जागेश्वर चौरसिया

समस्त निवासीगण– गांधी नगर महोबा, इलाहाबाद बैंक के सामने तहसील व जिला महोबा (उ.प्र.) ..... निगरानीकर्ताण

बनाम

म.प्र. शासन ..... प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरूद्ध आदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक जुझारनगर के राजस्व मामला क्र.–12/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है –

1. यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन पत्र अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नं.– 1689, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4 क्रमशः रकवा 0.437, 0.388, 0.202, 0.684, 0.194, 0.721, 3.482, 4.119, 4.110, 4.119 है0 स्थित ग्राम जुझारनगर तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. का सीमांकन किये जाने वावत् नायब तहसीलदार जुझारनगर के समक्ष दिनांक 28.04.2012 को प्रस्तुत किया था। जिसको नायब तहसीलदार जुझारनगर ने राजस्व निरीक्षक जुझारनगर को सीमांकन किये जाने हेतु आदेशित किया लेकिन नायब तहसीलदार के आदेश का पालन नहीं किया गया और सीमांकन नहीं हुआ तब निगरानीकर्तागण ने कलेक्टर छतरपुर को भी सीमांकन कराये जाने के संबंध में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–3286/तीन/15 जिला– [redacted] छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26 –10–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद खरे उपस्थित । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि कमांक–1689, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1690/1, 1690/2, 1690/3,1690/4 के सीमांकन हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के आदेश के पालन में सीमांकन नहीं किया गया।तब जाकर कलेक्टर छतरपुर को सीमांकन के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।तब जाकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.4.15 के पालन में सीमांकन की कार्यवाही सीमांकन दल गठित कर दिनांक–9.6.15 एवं 10.6.15 को सीमांकन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि सीमांकन कार्यवाही के दौरान सीमांकन स्थायी बन्दोबस्ती सीमा चिन्हों से न किया जाकर मनमाने तरीके से किया गया तथा असत्य तथ्यों के आधार पर सीमांकन अभिलेख तैयार किया गया । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सर्वे कमांक–1710 बंधान का नम्बर है जिसे बंदोबस्ती नक्शा में बंधान के रूप में चिन्हित किया गया है । सीमांकन के संबंध में बन्दोबस्त का नक्शा भी पेश किया गया था किन्तु पटवारी एवं रा.नि. द्वारा निश्चित बंदोबस्ती सीमा चिन्ह से सीमांकन न करते हुए बंधान के 4–5 जरीब पीछे से सीमाकन कर दक्षिण से उत्तर की ओर सम्पूर्ण भूमि ही विवादित कर दी गयी, ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही पूर्णतः अनुचित होकर निरस्ती योग्य है । इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है । प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के सीमांकन अभिलेख की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि सीमांकन की कार्यवाही टोटल मशीन से जांच कर एवं पटवारी नक्शा से मिलान कर बंधान की पार को आधार मान कर किया गया है । उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि आवेदकगण की आपत्ति आने पर टोटल मशीन से नक्शे का मिलान कर चालू एव टोटल मशीन से तैयार नक्शे के आधार पर सही सीमांकन किया गया है ऐसी स्थिति में पुनः सीमांकन की मांग को अमान्य किया जाकर किए गये सीमांकन की पुष्टि की जाना पायी गयी है । आक्षेपित आदेश जारी करने के बाद सीमांकन की जानकारी तहसीलदार को दिनांक–17.6.15 को प्रस्तुत की गयी । प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह तो स्पष्ट	

है कि सीमांकन टोटल मशीन से बंधान को ही सीमाचिन्ह मान कर किया गया है किन्तु इस संबंध में कोई ठोस आधार न तो अभिलेख मे ही अभिलिखित है और न ही आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है , जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सीमांकन बंधान से 4–5 जरीब पीछे से या दूर से प्रारंभ किया गया है या सही निश्चित सीमा चिन्ह बंधान से किया गया है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे स्वयं सीमांकन हेतु आवेदित भूमियों के संबंध में सर्व संबंधित हित बद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर उनके समक्ष ~~उभयपक्षों की उपस्थिति में~~ की गयी सीमांकन कार्यवाही का सत्यापन करें एवं यह सुनिश्चित करें कि यदि सीमांकन सही है तो तदनुसार आदेश जारी करें एवं यदि गलत है तो तदनुसार सीमांकन की कार्यवाही विधिवत पूर्ण कर तीन माह में प्रकरण का निराकरण करें । तब तक वर्तमान में प्रभावशील सीमांकन की कार्यवाही का आक्षेपित आदेश दिनांक–15.7.15 स्थिर रहेगा एवं उक्त निर्देशों के कम में नया आदेश पारित होने पर यह प्रभावशील आदेश दिनांक–15.7.15 स्वतः निरस्त माना जावेगा उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण रि.दा. हो ।

सदस्य